न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर. खौड)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

गोमा पुत्र मगा जी, जाति- रेबारी, निवासी- रामपुरा, तहसील व जिला-सिरोही.

राजस्व निगरानी संख्याः 7/2020

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री पदमाराम व श्री परबत सिंह, अप्रार्थी की ओर से

-: **निर्णय** :- दिनांक 10 नवम्बर, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/1840 दिनांक 24.9.2020 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध ग्राम पीपलकी, पटवार हल्का रामपुरा के वर्तमान खाता संख्या 134 खसरा संख्या 132 व 133 रकबा क्रमशः 0.3400 हेक्टेयर व 0.3100 हेक्टेयर किस्म क्रमशः बारानी-I व किस्म बारानी-I (जिसके पुराने खसरा संख्या 60/2 रकबा 4.00 बीघा है) भूमि का अप्रार्थी गोमा पुत्र मगा जी, जाति- रेबारी, निवासी- रामपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि खसरा गिरदावरी की नकल संवत 2032-2035 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है व न ही कब्जा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा संवत 2032 से 2035 तक उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान व श्री परबत सिंह उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 02.11.2021 को पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही) प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में होने से आर्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त भूमि का अप्रार्थी गोमा पुत्र मगाजी, जाति- रेबारी, निवासी- रामपुरा को बतौर गैर खातेदार कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुआ था। आवंटन के पश्चात् से प्रार्थीया अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर लगातार काश्त की गई, लेकिन हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने समय पर गिरदावरी रिपोर्ट में काश्त का अंकन नही किया। इसलिए उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी ने पटवारी को गिरदावरी करने हेतु अनुरोध किया परन्तु

.....पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:36:11 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पटवारी ने गिरदावरी नही की व अप्रार्थी से रुपयो की मांग की गई व रुपयों की मांग पूरी नही होने के कारण पटवारी द्वारा गिरदावरी नही की गई। अप्रार्थी आवंटन के समय से आज दिन तक मौके पर काबिज काश्त है ओर हर वर्ष मौके पर काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन नही किया है। अत: प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पीपलकी, पटवार हल्का रामपुरा के वर्तमान खाता संख्या 134 खसरा संख्या 132 व 133 रकबा क्रमश: 0.3400 हेक्टेयर व 0.3100 हेक्टेयर किस्म क्रमश: बारानी 1 व बारानी 1 (जिसके पुराने खसरा संख्या 60/2 रकबा 4.00 बीघा है) भूमि का अप्रार्थी गोमा पुत्र मगा जी, जाति- रेबारी, निवासी- रामपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में उक्त भूमि अप्रार्थी गोमा पुत्र मगा, जाति- रेबारी, निवासी- रामपुरा के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का कथन है कि खसरा गिरदावरी की नकल संवत 2032-2035 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा कभी भी आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है व न ही कब्जा है। प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की नकलों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नही की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, रामपुरा की मौका रिपोर्ट दिउनांक 25.8.2020 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मौके पर भूमि पडत पडी है व भूमि में कांटेदार बबूल की झाडिया व झाड खडे है। उक्त भूमि कई वर्षो से पडत पडी रही है व इस पर गोमा पुत्र नगा रेबारी का कब्जा काश्त नही रहा है।

राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा-काश्त नही रहा है एवं न ही वर्तमान में मौके पर कब्जा है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है।

अत: प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी गोमा पुत्र मगा जी, जाति- रेबारी, निवासी- रामपुरा को ग्राम पीपलकी, पटवार हल्का रामपुरा के खसरा संख्या 132 व 133 रकबा क्रमश: 0.3400 हेक्टेयर व 0.3100 हेक्टेयर किस्म क्रमश: बारानी 1 व बारानी 1 (जिसके पुराने खसरा संख्या 60/2 रकबा 4.00 बीघा है) भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 17:56:11 IST
Reason: SelfAttested